

/2022

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवसर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा ट्रांसपोर्टनगर मुजफ्फरनगर भोपा रोड से ग्राम जटमुझेडा तक पी०डब्लू०डी० किमी० चैनेज 79.400 से किमी० चैनेज 85.900 (लम्बाई 6.5 किमी०) तथा मुजफ्फरनगर-जानसठ रोड (एन०एच०-58 फ्लाईओवर) से पवार धर्मकांटा ग्राम सिखेडा की सीमा तक, एन०एच०-709 ए०डी० किमी० चैनेज 97.450 से किमी० चैनेज 104.45 (लम्बाई 7.00 किमी०) कुल लम्बाई 13.500 किमी० में 8" डाया सी०एस० एवं 125 एम०एम०, एम०डी०पी०ई० भूमिगत सी०एन०जी० गैस पाईप लाईन डालने हेतु 0.6750 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/पाईपलाईन/154062/2022)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-227/81-2-2022-800(225)/2022 दिनांक 13 जुलाई 2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 13-07-2022 14:01:06

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन,

राज्य सरकार, लखनऊ